2/4/2021

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 60 / 2012

1. महेन्द्र आयु 24 वर्ष 2. कैलाश आयु 40 वर्ष 3. जगराम आयु 21 वर्ष 4. उदयसिंह आयु 35 वर्ष	पुत्रान प्रभू	अकवाम जाटव निवासीयान ग्राम मुखैना तहसील वैर जिला भरतपुर
5. सुफेदी आयु 55 वर्ष वेवा प्रभू		

.......अपीलान्टान

बनाम

1. मुकेश आयु 38 वर्ष पुत्र ऋषिराम 2. बुद्धि पाठक आयु 75 वर्ष पुत्र लीला 3. दयाराम आयु 50 वर्ष पुत्र धूजीराम 4. प्रहलाद आयु 80 वर्ष पुत्र कुन्दन 5. उदयराम आयु 50 वर्ष पुत्र हरिराम 6. रमेशचन्द आयु 65 वर्ष पुत्र हीरालाल 7. खिल्लूराम आयु 63 वर्ष पुत्र हीरालाल	अकवाम ब्राहमण निवासी ग्राम मुखैना तहसील वैर जिला भरतपुर

.......रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टीनैन्सी एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 30.11.2012 तहसीलदार वैर। पत्रावली संख्या 02 / 2012 उनवानी महेन्द्र वगैरा बनाम मुकेश वगैरा अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टीनैन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री अर्जुन सिंह, अभिभाषक अपी0
2. श्री महाराज सिंह डांगुर, वकील रैस्पो0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

?vname=rvcrep&rvtype=view&rvKey=rvcrep737980&params=pcourt_code◆10440~phearing_date◆05/02/2021&isPrint=true

निर्णय

दिनांक : 29.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 30.11.2012 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्थान टीनैन्सी एक्ट 1955 की धारा 183 (ख) के तहत आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दाहेराते हुये जाहिर किया कि खसरा नम्बर 289 रकबा 8 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी का आबंटित रकबा है। रैस्पो0 ने नाजायज कब्जा कर रख है जिसके लिये तहत न्यायालय में रैस्पो0 का नाजायज कब्जा हटाकर कब्जा दिलाने के लिये आवेदन किया था परन्तु तहसीलदार वैर ने बिना युक्तियुक्त कारण के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। तहसीलदार वैर ने 183(बी) की संक्षिप्त प्रकिया से कार्यवाही नहीं कर कानूनी भूल की है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट मे रैस्पो0 का अतिकमण करना बताया गया है जिस पर तहत न्यायालय ने गौर नही किया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन है कि तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गलत प्रकार से विवेचन किया है। मृतक अपीलान्ट के वारिसान को रिकार्ड पर नही लिये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्णय लिया जा चुका है। अब अपील अबेट करने का प्रश्न नही रहा है। वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलान्टान को विवादित आराजी का कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने तर्को में जाहिर किया है कि अपीलान्टान में से महेन्द्र सिंह फोत हो चुका है जिसके वारिसान नहीं बनाये गये है, अपील अबेट की जावे। विवादित आराजी का आबंटन अपीलान्टान को कब हुआ इसका उल्लेख अपील में नहीं है और ना ही आबटन पट्टा प्रस्तुत किया गया है। योग्य अभिभाषक रैस्पो0 का कहना है कि धारा 183(बी) की कार्यवाही अन्दर 12 वर्ष मे दावा लाना होता है। अपीलान्टान की यह कार्यवाही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कपासन (चित्त.)

याद बाहर होने से खारिज योग्य है। धारा 183(बी) की कार्यवाही विधिवत जांच करते हुये तहसीलदार वैर ने अपीलाधीन आदेश सही पारित किया है। तहत न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही विवेचन करते हुये विधिवत प्रार्थना पत्र धारा 183(बी) खारिज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1992 पेज 461–465 उद्धरित किया। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रूलिंग का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2012 एवं पत्रावली तहत पर उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। तहसीलदार वैर ने अपने अपीलाधीन आदेश मे साक्ष्यों एवं तथ्यों का पूर्ण विवेचन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। योग्य अभिभाषक अपीलान्टान ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किये है जिससे उनके कथनों को समर्थन मिलता हो। अस्तु अपील अपीलान्टान काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार वैर वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)